महत्वपूर्ण /अत्यावश्यक

संख्या-28/सत्तर-5/2007-90/2006

प्रेषक

राजीव कुमार,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0 प्र0,
इलाहाबाद।

लखनऊ : दिनांक : 17 जनवरी, 2007

उच्च शिक्षा अनुभाग-5

**विषय : प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर कला, विज्ञान तथा वाणिज्य व स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए., एम.एस.सी. एवं एम.कॉम. पाठ्यक्रमों में शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के पदों के सृजन का मानक ।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या -4557 (ख)/15-82 (11)-3(30)/80 दिनांक 26 मई, 1984 द्वारा महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों हेतु शिक्षकों के पदों के सृजन एवं उनके कार्यभार के सम्बन्ध में मानकों का निर्धारण किया गया था। कालान्तर में प्रदेश सरकार की विषम आर्थिक स्थिति एवं अर्थोपाय नीति के दृष्टिगत किसी भी अशासकीय महाविद्यालयों को अनुदान सूची पर न लिये जाने तथा अनुदानित अशासकीय महाविद्यालयों में असहायता प्राप्त पाठ्यक्रमों को वित्तीय सहायता न दिये जाने का निर्णय शासनादेश संख्या-1560/सत्तर-6-2000-51/99 दिनांक 21.8.2000 द्वारा लिया गया। फलस्वरूप केवल राजकीय महाविद्यालयों में ही यथा आवश्यकता नये महाविद्यालयों की स्थापना या नये पाठ्यक्रमों के विस्तार के समय पदों के सृजन किये जाने की आवश्यकता उत्पन्न होती है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संस्तुति पर स्नातक स्तर पर त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के राज्य विश्वविद्यालयों में लागू किया गया है किन्तु राजकीय महाविद्यालयों में इस हेतु शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कार्मिकों के अपेक्षित पदों का सृजन अभी तक नहीं किया गया है जिसके फलस्वरूप शिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है। अतः इस समस्या के निदान हेतु यह निर्णय लिया गया है कि प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में शिक्षक/शिक्षणेत्तर पदों के सृजन हेतु नयी शिक्षा नीति 1986 द्वारा प्रदेश में स्नातक स्तर हेतु त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है यू.जी.सी. द्वारा निर्धारित मानक एवं बी.एड. कक्षाओं हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मानकों को दृष्टिगत प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों हेतु विभिन्न संकायों में पद सृजन के मात्र न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर निम्नानुसार निर्धारित किये जा रहे है -

(क) नये राजकीय महाविद्यालय की स्थापना होने पर प्रारम्भ में स्नातक स्तर पर कला एवं विज्ञान संकाय के प्रत्येक विषय में 01-01 प्रवक्ता का पद तथा वाणिज्य संकाय में स्नातक स्तर पर प्रवक्ता के न्यूनतम 02 पद प्रारम्भिक स्तर पर सृजित किया जाय तथा उपरोक्त संकायों में तीसरे वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक विषय में 01-01 पद क्रमशः प्रति विषय एवं संकाय हेतु सृजित किये जायेंगे।

(ख) स्नातक स्तर पर प्रयोगात्मक विषय में प्रयोगशाला सहायक एवं प्रयोगशाला परिचर का 01-01 पद सृजन किया जायेगा तथा शिक्षण सत्र के तृतीय वर्ष में कार्यभार को दृष्टिगत रखते हुए प्रयोगशाला परिचर का 01 पद और सृजित किया जाय।

(ग) स्नातकोत्तर स्तर पर एम.ए., एम.एस.सी., तथा एम.काम. कक्षायें संचालित करने हेतु प्रथम वर्ष में प्रत्येक विषय में न्यूनतम 02 प्रवक्ता का पद तथा एम.एस.सी/एम.काम. में दूसरे वर्ष में 01-01 प्रवक्ता के पद का सृजन किया जाय।

(घ) स्नातकोत्तर स्तर पर प्रयोगात्मक विषय में (रसायन विज्ञान को छोड़कर) प्रथम वर्ष में प्रयोगशाला सहायक एवं परिचर का 01-01 पद परन्तु रसायन विषय में प्रारम्भिक वर्ष में एक प्रयोगशाला सहायक, 01 गैसमैन तथा 02 प्रयोगशाला परिचर के पद सृजित किया जाये। रसायन विषय में एम.एस.सी. उत्तरार्द्ध में एक से अधिक विशिष्टिकरण की कक्षाएं संचालित हों वहाँ पर एक अतिरिक्त विशिष्टिकरण हेतु 01-01 प्रयोगशाला सहायक/परिचर का पद सृजित किया जाय। कार्यभार में वृद्धि होने के फलस्वरूप दूसरे वर्ष में प्रयोगशाला सहायक एवं परिचर के द्वितीय पद का सृजन किया जाय ।

(च) महाविद्यालय की स्थापना वर्ष में एक संकाय खोले जाने पर कार्यालय हेतु निम्न पद सृजित किये जाय :-

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | पुस्तकालयाध्यक्ष | 01 | 8000-13500 |
| 2 | वरिष्ठ लिपिक | 01 | 4000-6000 |
| 3 | कनिष्ठ लिपिक | 01 | 3050-4590 |
| 2 | चतुर्थ श्रेणी,<br>1. कार्यालय परिचर<br>2. अर्दली<br>3. पुस्तकालय परिचर<br>4. स्वीपर/चौकीदार | <br>01<br>01<br>01<br>01 | <br>2550-3200<br>तदैव<br>तदैव<br>तदैव |

(छ) दो या दो से अधिक संकाय खोले जाने की स्थिति में कार्यालय अधीक्षक, कनिष्ठ लिपिक, तथा कार्यालय परिचर का 01-01 पद अतिरिक्त रूप से सृजित किया जाय।

(ज) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता मानदंड और क्रिया विधि संशोधन) विनियम 2006 में बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु मुख्य रूप से निम्न पदों का मानक निर्धारित किया गया है।

100 छात्रों के लिए

| | |
|---|---|
| प्राचार्य / विभागाध्यक्ष | 01 पद |
| प्रवक्ता | 07 पद |
| **तकनीकी सहयोगी स्टाफ** | |
| सहायक पुस्तकालयाध्यक्ष | 01 पद |
| तकनीकी सहायक | 01 पद |
| **प्रशासनिक स्टाफ** | |
| कार्यालय कम लेखा लिपिक | 01 पद |
| कार्यालय सहायक कम टंकक | 01 पद |
| स्टोर कीपर | 01 पद |
| परिचर/सहायक/<br>सहयोगी स्टाफ | 02 पद |

उक्तानुसार न्यूनतम आवश्यकता के आधार पर बी.एड. पाठ्यक्रम हेतु पद सृजित किया जायेगा।

3. उक्त मानक वित्त विभाग के अशासकीय संख्या ई-11-62/दस-2006 दिनांक 16 जनवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,
ह0/-
(राजीव कुमार)
सचिव।

<u>संख्या-28 (1)/सत्तर-5-2007-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद ।
(2) समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
(3) समस्त प्राचार्य, राजकीय महाविद्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा निदेशक उच्च शिक्षा ।
(4) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-11/वित्त (आय व्ययक) अनुभाग-1/2
(5) वित्त नियंत्रक, उच्च शिक्षा निदेशालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(6) गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,
ह0/-
(राजीव कुमार)
सचिव।